इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 379] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 22 अगस्त 2013—श्रावण 31, शक 1935

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्र. एफ. 2(अ) 47-2012-बी-4-दो.—पुलिस बल के अधिकारियों/कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाए रखने, गुणवत्ता सुधारने, विशेषता अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करने आदि के लिए विभाग प्रतिवर्ष निम्नानुसार पुरस्कार घोषित करता है, इन पुरस्कारों का विनियमन निम्नानुसाार होगा :—

1. **नाम प्रारंभ एवं विस्तार.**—(1.1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ''के.एफ. रुस्तमजी पुरस्कार नियम, 2013'' है.

(1.2) ये नियम ''राजपत्र'' में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

(1.3) इन नियमों का विस्तार मध्यप्रदेश राज्य में होगा.

2. **पुरस्कार का उद्देश्य, श्रेणियां एवं पुरस्कार राशि.**—(2.1) इस पुरस्कार का उद्देश्य पुलिस बल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दस्यु उन्मूलन अभियान, नक्सल विरोधी अभियान, सांप्रदायिक दंगों व कानून और व्यवस्था की गंभीर परिस्थितियों के नियंत्रण में अच्छा कार्य करने अथवा कार्य निर्वहन के उच्च कोटि की वीरता का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना है.

(2.2) यह पुरस्कार दिए जाने वाले वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष (अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च) में किए गए कार्य के लिए दिया जाएगा.

(2.3) यह पुरस्कार राज्य स्तरीय रहेंगे. उक्त योजनान्तर्गत दिए जाने वाले पुरस्कार निम्नानुसार तीन श्रेणी के होंगे. इन पुरस्कारों की राशि निम्नानुसार होगी :—

क्र.	श्रेणी	पुरस्कार राशि	प्रति वर्ष दिए जाने वाले पुरस्कारों की अधिकतम संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	परम विशिष्ट	रुपए 5 लाख अथवा रिवाल्वर, 12 बोर गन अथवा 315 बोर रायफल तथा प्रमाण-पत्र.	पांच

(1)	(2)	(3)	(4)
2	अति विशिष्ट	रुपए 2 लाख अथवा रिवाल्वर, 12 बोर गन अथवा 315 बोर रायफल तथा प्रमाण-पत्र.	छः
3	विशिष्ट	रुपए 50 हजार एवं प्रमाण-पत्र	पचास

(**टीप.**—विशेष परिस्थितियों में किसी वर्ष में किसी श्रेणी विशेष में इन पुरस्कारों की संख्या राज्य शासन द्वारा बढ़ाई जा सकेगी.)

3. **पुरस्कार के लिए चयन के मापदण्ड.**—इन पुरस्कारों के लिए चयन के मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :—

(एक) दस्यु उन्मूलन अभियान में उल्लेखनीय सफलता.

(दो) नक्सल विरोधी अभियान में उल्लेखनीय सफलता.

(तीन) साम्प्रदायिक दंगों व कानून व्यवस्था की गंभीर परिस्थितियों के नियंत्रण में उल्लेखनीय सफलता.

(चार) कार्य निर्वहन में उच्च कोटि की वीरता अथवा व्यावसायिक दक्षता का प्रदर्शन.

4. **पात्रता.**—इस योजना के अंतर्गत राज्य पुलिस सेवा एवं उससे नीचे के रेंक के सभी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी पुरुस्कृत किए जा सकेंगे. पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकेगा.

5. **प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया.**—योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किए जाने हेतु संबंधित पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से पुलिस महानिदेशक को प्रस्ताव प्रेषित किए जावेंगे.

6. **पुरस्कार के लिए चयन समिति.**—पुलिस महानिरीक्षकों से प्राप्त अनुशंसाओं पर विचार कर पुरस्कार हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों का चयन करने के लिए निम्नानुसार चयन (स्क्रीनिंग) समिति का गठन किया जाएगा :—

(अ)	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन)	अध्यक्ष
(ब)	पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता)	सदस्य
(स)	पुलिस महानिरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल)	सदस्य
(द)	पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन)	सदस्य-सचिव

7. **स्वीकृति की प्रक्रिया.**—(1) विशिष्ट श्रेणी का पुरस्कार स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन उपरांत स्वीकृत किया जाएगा.

(2) अतिविशिष्ट एवं परम विशिष्ट श्रेणी के पुरस्कार के प्रकरण स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा उपरांत पुलिस महानिदेशक की अनुशंसा सहित राज्य शासन को स्वीकृति हेतु भेजे जाएंगे.

(3) किसी अधिकारी/कर्मचारी को वीरता पुरस्कार (Gallantry Award) अथवा इस पुरस्कार में से किसी एक की ही पात्रता होगी. जिस अधिकारी/कर्मचारी का नाम वीरता पुरस्कार (Gallantry Award) के लिए अग्रेषित किया गया है, उसके नाम पर इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत विचार वीरता पुरस्कार के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक नहीं किया जाएगा. इसी प्रकार यह पुरस्कार प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी का नाम वीरता पुरस्कार हेतु अग्रेषित नहीं किया जाएगा.

8. **पुरस्कार वापस लेने की शक्ति.**—पुरस्कार दिए जाने के उपरांत राज्य शासन को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग अथवा अन्य स्त्रोतों से ज्ञात होता है कि पुरस्कार देने के आधार तथ्यात्मक नहीं थे तो राज्य शासन संबंधित पुरस्कार विजेता को कारण बताओ नोटिस जारी कर तथा वांछित तथ्यात्मक जांच कर अगर, आवश्यक समझा जाए, दिया हुआ पुरस्कार वापस ले सकेगा. ऐसी स्थिति में पुरस्कार विजेता पुरस्कार में दिया गया शस्त्र, राशि व प्रमाण-पत्र राज्य शासन को वापस करने हेतु बाध्य होगा.

9. **अन्य पुरस्कार योजनाओं का लागू रहना.**—नियम-3 में उल्लेखित कार्यों से हटकर किए गए अन्य उल्लेखनीय कार्यों/अर्जित उपलब्धियों, जिसमें खेलकूद गतिविधियों में उल्लेखनीय सफलता शामिल है, के लिए पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ज्ञापन क्रमांक एफ 10-8-2012-1-4, दिनांक 15 अक्टूबर 2012 द्वारा जारी ''सुशीलचन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना'' के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाएगा.

उक्त नियम वित्त विभाग द्वारा यू.ओ. क्रमांक 532-320-बी-8-चार-13, दिनांक 26 अप्रैल 2013 द्वारा दी गई सहमति के परिप्रेक्ष्य में जारी किए जा रहे हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय शर्मा, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.